

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक: यो0ब02 / 1-25 / 2017- / यो0वि0, पटना, दिनांक 22 जून, 2026

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 अंतर्गत **Maintenance and Operation (Including onsite coordinator) of web based project monitoring tools and MIS system for Local Area Engineering Organisation (LAEO) under Planning and Development** कार्य का **CSM Technologies Pvt. Ltd., Patna** को भुगतान हेतु कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, पटना को कुल ₹ 12,20,415/- (बारह लाख बीस हजार चार सौ पंद्रह रुपये) मात्र की राशि की व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2026-27 अंतर्गत Maintenance and Operation (Including onsite coordinator) of web based project monitoring tools and MIS system for Local Area Engineering Organisation (LAEO) under Planning and Development कार्य का CSM Technologies Pvt. Ltd., Patna को भुगतान हेतु कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, पटना को कुल ₹ 12,20,415/- (बारह लाख बीस हजार चार सौ पंद्रह रुपये) मात्र की राशि की व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी जाती है।

2. मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बेली रोड, पटना के पत्रांक 1162 दिनांक 25.05.2026 के आलोक में आवंटन की स्वीकृति दी जा रही है।

3. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2053-जिला प्रशासन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-094-अन्य स्थापनाएँ, मांग संख्या-35, उपशीर्ष-0109-योजना यंत्र का सुदृढीकरण जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में, विषय शीर्ष-1301 कार्यालय व्यय के अंतर्गत स्वीकृत राशि विपत्र कोड 35-2053000940109 के अंतर्गत विकलनीय होगी, जिसके अंतर्गत बजट उपबंध है।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, पटना होंगे।

5. उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदान की गयी है।

6. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में इस राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

7. राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

8. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, पटना किये गये व्यय का प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।

9. प्रस्ताव पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(धर्मवीर प्रसाद सिंह)

सरकार के अवर सचिव

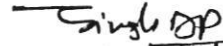
ज्ञापांक: यो0ब02/1-25/2017- / यो0वि0,पटना,दिनांक जून, 2026
प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: यो0ब02/1-25/2017-575-~~वि0~~ यो0वि0,पटना,दिनांक 22 जून, 2026
प्रतिलिपि: मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, पटना/विभागीय बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0C मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस स्वीकृत्यादेश को विभाग के साईट पर अपलोड करा दें।


सरकार के अवर सचिव

6) आई0टी0C मैनेजर